

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या—NHM/BHDS/283/2024—~~प्रति पी.एम.~~ 140- / क०, पटना, दिनांक 08/10 / 2024

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवामें,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक
रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी. पी.आर. के तहत राज्य स्कीम मद से मखाना विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के मखाना भंडार गृह अवयव की द्वितीय किस्त की देयता राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 35.00 लाख (पैंतीस लाख) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत डी.पी.आर. के तहत राज्य स्कीम मद से मखाना विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के मखाना भंडार गृह अवयव की द्वितीय किस्त की देयता राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 35.00 लाख (पैंतीस लाख) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत्यादेश संख्या NHM/BHDS/133/2023, पी.पी.एम.-68 पटना, दिनांक 05.09.2023 द्वारा स्वीकृत मखाना विकास योजना अन्तर्गत मखाना भंडार गृह के निर्माण से संबंधित उपलब्धि एवं देयता प्रतिवेदन अनुसूची-01 के रूप में संलग्न है।

3. स्वीकृत्यादेश संख्या NHM/BHDS/133/2023, पी.पी.एम.-68 पटना, दिनांक 05.09.2023 द्वारा स्वीकृत मखाना विकास योजना अन्तर्गत मखाना भंडार गृह के निर्माण हेतु चयनित 20 किसानों में से 07 किसानों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर पाने के कारण देयता की स्थिति उत्पन्न हुई है। उक्त 07 किसानों से संबंधित विवरण अनुसूची-02 के रूप में संलग्न है। स्वीकृत राशि से उक्त 07 किसानों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान किया जायेगा।

4. योजनान्तर्गत देयता की राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि राज्य स्कीम मद से मखाना विकास योजना के तहत मखाना भण्डार गृह अवयव अन्तर्गत इसके बाद कोई भी देयता की राशि शेष नहीं है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही राशि का भुगतान लाभुकों को करेंगे। किसी तरह के गलत भुगतान के लिये निकासी एवं भुगतान करने वाले पदाधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. स्वीकृत राशि से निर्माण कार्य एवं भुगतान संबंधित आवश्यक कार्रवाई मूल स्वीकृत्यादेश संख्या— NHM/BHDS/133/2023, पी.पी.एम.-68 पटना, दिनांक—05.09.2023 में निहित आदेश के आलोक में किया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत मखाना विकास योजना अन्तर्गत मखाना भंडार गृह का निर्माण अवयव के तहत 5 मेट्रिक टन क्षमता की मखाना भंडार गृह का निर्माण विभागीय प्राक्कलन की राशि 10.00 लाख रुपये पर 75 प्रतिशत सहायतानुदान 7.50 लाख रुपये दो किस्तों में, पहली किस्त लीटर तक निर्माण होने उपरान्त 2.5 लाख रुपये तथा शेष 5.00 लाख रुपये मखाना भंडार गृह का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सहायतानुदान दिया जाना था, परन्तु अनुसूची-02 के अनुसार जिलावार एवं श्रेणीवार कृषकों के द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरान्त कार्य पूर्ण किया गया, जिसके आलोक में द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान हेतु योजना की स्वीकृति दी गई है।

7. योजना में स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची-3 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form-42 पर CFMS की विहित रीति से निकासी की जायेगी।

8. योजना अन्तर्गत सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान किया जाना है, इस कारण सामान्य एवं अनुसूचित जाति मद के बजट शीर्ष से राशि की स्वीकृति दी जाती है। अतः बजट शीर्ष में स्वीकृत राशि 78.56 : 20 एवं 1.44 के अनुपात में नहीं है।

9. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. योजना के कार्यान्वयन में वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, उद्यान, बिहार होंगे।

12. योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

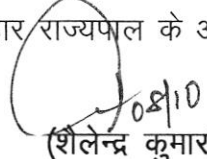
(राशि लाख रू० में)		
बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन।	23568.00	30.00
मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष - 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन।	6000.00	5.00
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 - उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152-31-06 सहायक अनुदान- गैर वेतन।	432.00	-
कुल	30000.00	35.00

13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758 वि० (2) दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या- NHM/BHDS/283/2024 के पृष्ठ संख्या-11/टि० पर दिनांक-07.10.2024 को प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- NHM/BHDS/283/2024 के पृष्ठ संख्या-13/टि० पर दिनांक-08.10.2024 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-688 दिनांक-08.10.2024 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

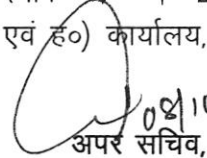

(शैलेन्द्र कुमार)
अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/283/2024 - पी०पी०एम०-140-

/पटना दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

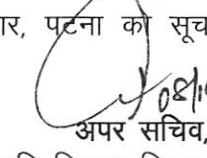

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/283/2024 - पी०पी०एम०-140-

/पटना दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

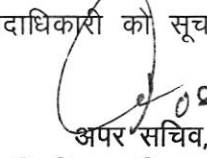

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/283/2024 - पी०पी०एम०-140-

/पटना दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

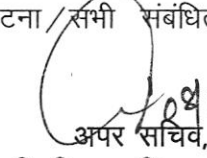

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/283/2024 - पी०पी०एम०-140-

/पटना दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

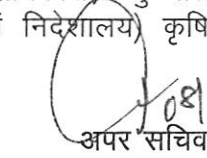
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/283/2024 - पी०पी०एम०-140-

/पटना दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- NHM/BHDS/283/2024 - 68610270-1410- /पटना दिनांक 08/10/ 2024

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना /आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

एस

08/10/24
अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-01

मखाना विकास योजना 2023-24 अन्तर्गत मखाना भंडार गृह अवयव के तहत श्रेणीवार देयता राशि

क्र०सं०	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य (सं०)	वित्तीय लक्ष्य @7.5 (लाख रु०)	भौतिक उपलब्धि (सं०)	वित्तीय उपलब्धि (लाख रुपये में)		देयता की राशि द्वितीय किस्त @5 लाख रुपये में		
					प्रथम किस्त @2.5 लाख रुपये	द्वितीय किस्त @5 लाख रुपये	सामान्य	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कटिहार	2	15.00	2	5.00	-	5.00	5.00	10.00
2	पूर्णियाँ	3	22.50	3	7.50	10.00	5.00	0.00	5.00
3	दरभंगा	4	30.00	4	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00
4	मधुबनी	1	7.50	1	2.50	-	5.00	0.00	5.00
5	किशनगंज	3	22.50	3	7.50	15.00	0.00	0.00	0.00
6	सुपौल	1	7.50	1	2.50	-	5.00	0.00	5.00
7	अररिया	1	7.50	1	2.50	5.00	0.00	0.00	0.00
8	मधेपुरा	4	30.00	4	10.00	15.00	5.00	0.00	5.00
9	सहरसा	1	7.50	1	2.50	-	5.00	0.00	5.00
कुल		20	150.00	20	50.00	65.00	30.00	5.00	35.00

(डॉ० राकेश कुमार)

निदेशक उद्यान
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

अनुसूची-02

मखाना विकास योजना 2023-24 अन्तर्गत मखाना भंडार गृह अवयव के तहत श्रेणीवार देयता राशि

क्र०सं०	जिला का नाम	द्वितीय किस्त के देयता वाले लाभार्थी का नाम	देयता की राशि (लाख (रूपये में))	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कटिहार	श्री राजेश पासवान, पिता-जगनाथ पासवान, ग्राम-विनोदपुर, पंचायत- विनोदपुर, प्रखंड-कोढ़ा	5.00	अनुसूचित जाति	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार का पत्र संचिका पृष्ठ 21-13/प०
		श्री यशराज सिंह, पिता- रमेश सिंह, ग्राम-कटिहार, पंचायत+प्रखंड-कटिहार	5.00	सामान्य	
2	पूर्णियाँ	श्री मनोरंजन झा, पिता- विभूतिनाथ झा, ग्राम- बहोरा, प्रखंड-बनमंखी	5.00	सामान्य	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ का पत्र संचिका पृष्ठ 24-22/प०
3	मधुबनी	श्री शम्भू कुमार झा, पिता-देवचन्द्र झा, ग्राम+पोस्ट-बलनी मेहंथ, प्रखंड-झंझारपुर	5.00	सामान्य	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी का पत्र संचिका पृष्ठ 28-25/प०
4	सुपौल	श्री रामेश्वर मेहता, पिता-मुशरू मेहता, ग्राम-नरपतपट्टी, पंचायत-सतनपट्टी, प्रखंड-बसंतपुर	5.00	सामान्य	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल का पत्र संचिका पृष्ठ 32-29/प०
5	मधेपुरा	श्रीमति सुनीता कुमारी, पति-देवनन्दन शाह, पंचायत-रजनी, ग्राम-प्रतापनगर, प्रखंड- मुरलीगंज	5.00	सामान्य	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा का पत्र संचिका पृष्ठ 37-33/प०
6	सहरसा	श्री धनेश्वर मुखिया, पिता-बबुअन मुखिया, ग्राम-झिटकी, पंचायत-पस्तवार, प्रखंड-महेशी	5.00	सामान्य	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा का पत्र संचिका पृष्ठ 42-38/प०
कुल			35.00		

14

h

(डॉ० राकेश कुमार)

Q

निदेशक उद्यान
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

अनुसूची-03

मखाना विकास योजना 2023-24 अन्तर्गत मखाना भंडार गृह अवयव के तहत श्रेणीवार देयता राशि

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	देयता की राशि द्वितीय किरत लाख रुपये में		
		सामान्य	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	8	9	10
1	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	5.00	5.00	10.00
2	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	5.00	0.00	5.00
3	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	5.00	0.00	5.00
4	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	5.00	0.00	5.00
5	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	5.00	0.00	5.00
6	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	5.00	0.00	5.00
कुल		30.00	5.00	35.00

HR

h

(डॉ० राकेश कुमार)

R

निदेशक उद्यान
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।